न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–105/2015
बीबी शहजादी बेगम –बनाम– बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04.07.2018	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपीलवाद आवेदिका बीबी शहजादी बेगम, पति–मो0 अकबर एवं मो0 अख्तर पिता–स्व0 मो0 याकूब, दोनों ग्राम अरई पो0–अरई बिरदीपुर, थाना–सिमरी, अंचल सिंहवाड़ा, जिला–दरभंगा की ओर से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या–27/13 में दिनांक 06.07.15 को पारित आदेश के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित कर संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त के आलोक में विपक्षी का प्रत्युत्तर एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् वाद खाता संख्या–853, पुराना, खाता नं0–186 (नया), खेसरा नं0–5352 पुराना, खेसरा नं0–2932 (नया), ग्राम–अरई, थाना–सिमरी, अंचल–सिंहवाड़ा जिला–दरभंगा से संबंधित। उक्त खाता नं0–186 (नया) से संबद्ध खेसरा नं–2932 (नया) में सन्निहित रकबा 1 एकड़ 24 डीसिमल भूमि विपक्षी सं0–02 के पिता अबू नसर के दखल कब्जा में था। अबू नसर के मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र (1) अबूबकर उर्फ हीरा बाबू (2) अबू मुजफ्फर उर्फ बच्चु बाबू (3) मो0 सगर उर्फ अच्छु बाबू एवं एक पुत्री बीबी असगरी बेगम है। 01 एकड़ 2 डीस्मिल भूमि का आपसी बँटवारा भाई एवं बहन के बीच 10 कट्ठा करके किया गया, जो विधिवत् है। विपक्षी सं0–02 के द्वारा दिनांक 07.09.2005 को 6 कट्ठा एवं 4 कट्ठा भूमि क्रमशः अपीलार्थी संख्या–01 एवं 02 दो निबंधित केवाला कर दिया एवं दखल कब्जा प्रदान कर दिया। जिस पर आवेदक लगातार स्वामित्व के साथ दखलकार रहते चले आ रहे हैं विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र में बिक्री की गयी भूमि का मौजा, परगना आदि सही रकबे से दर्शाया गया परन्तु किसी कारणवश पुराना खेसरा–5352 के बदले 5252 एवं सही नया खेसरा नं0–2932 के बदले 2931 अंकित हो गया, जो आवेदकगण नहीं समझा पाये। आवेदिका सं0–01 अपनी उक्त खरीदगी 06 कट्ठा भूमि के अंश भाग पर नई मिट्टी से भरकर आवासीय मकान बनाकर वो विपक्षी का लाईन लेकर एवं चापाकल गड़वाकर परिवार के साथ निवास करने लगी। उनका यह भी कथन है कि विपक्षी प्रथम पक्ष ने अपने नाम कथित खरीदगी उपरोक्त 09 कट्ठा भूमि के नामान्तरण हेतु सिंहवाड़ा अंचल दाखिल खारिज वाद सं0–825/13–14 अंकित करवाया, जिसकी जानकारी होने पर आवेदकों ने अपना लिखित आपत्ति आर0टी0जी0एस0 नं0–1846/13 के माध्यम से सभी आवश्यक कागजातों के साथ प्रस्तुत किया। उक्त दाखिल खारिज के क्रम में हलका कर्मचारी स्थल पर जाकर स्थल का जाँच के क्रम में स्थल पर अवस्थित मकान में आवेदकों को रहते पाया, फिर भी अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं कर प्रतिवेदित	

किया कि विपक्षी प्रथम पक्ष को खरीदगी भूमि पर स्वामित्व प्राप्त है। तदनुसार अंचल निरीक्षक महोदय ने भी वैसा ही प्रतिवेदन दिया। दोनों पदाधिकारियों ने अपने–अपने प्रतिवेदन में विपक्षी प्रथम पक्ष का दखल कब्जा प्रतिवेदित नहीं किये, जो अनिवार्य है। अतः आवेदकों का रिभिजन आवेदन को स्वीकार किया जाय एवं निम्न न्यायालयों के आदेशों को निरस्त की जाय।

विपक्षी संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.15 एक विधि सम्मत् आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत् भूमि विपक्षी को निबंधित केवाला सं0–5261 दिनांक 31.03.13 से प्राप्त है। उक्त निबंधित केवाला में खेसरा नं0–5252 गलत रूप से अंकित हो गया था जिस भूल को दस्तावेज मरम्मत नामा सं0–9061 दिनांक 05.06.2013 से सुधारकर किया गया, तथा संबंधित भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा दरभंगा के समक्ष विपक्षी द्वारा आवेदन दाखिल किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विपक्षी के विक्रेता के भाई जिसके नाम जमाबन्दी चल रही है, के द्वारा अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा दरभंगा के समक्ष एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया कि विपक्षी के नाम अगर दाखिल खारिज कर दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उक्त सभी तथ्यों की समुचित जानकारी प्राप्त कर अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा, दरभंगा द्वारा विपक्षी के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति दिनांक 13.09.2013 से की गयी। अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा एक दाखिल खारिज अपीलवाद सं0–27/13–14 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के न्यायालय में दायर किया गया, जिसमें सभी पक्षों को सुनकर एक विधि–सम्मत् आदेश पारित किया गया है। अतः आवेदक द्वारा दायर पुनरीक्षित वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

अभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा भूमि से संबंधित भौतिक सत्यापन हेतु एक आवेदन दिया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2015 में स्पष्ट अंकित है कि अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा के द्वारा दिनांक 13.09.13 को बीबी शहजादी बेगम के आपत्ति की जाँच की गयी जिसमें स्थानीय लोग उपस्थित थे। दाखिल खारिज वाद सं0–825/25.03.14 के आदेश फलक दिनांक 13.09.13 में स्पष्ट अंकित है कि आपत्तिकर्त्ता के आपत्ति पर सुनवाई की गयी।

अतएव सम्यक रूप से विचारोपरान्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा के द्वारा वाद संख्या–27/13–14 में दिनांक 06.07.15 को पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

09/07/18
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।